मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा ३ का संशोधन.

३. धारा ४ का संशोधन.

४. धारा ४-ग का स्थापन.

५. धारा ५ का लोप.

६. धारा ५-क का संशोधन.

७. धारा ६-क का संशोधन.

८. धारा ६-ख का संशोधन.

९. धारा ६-ग का संशोधन.

१०. धारा ७ का संशोधन.

११. धारा ७-क का अन्त:स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में शब्द ''दस हजार'' के स्थान पर, शब्द ''तीस हजार'' स्थापित किये जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द ''पच्चीस हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पैंतीस हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ४-ग का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

कम्प्यूटर आपरेटर/ अर्दली भत्ता.

'' ४-ग. प्रत्येक सदस्य को पंद्रह हजार रुपए प्रतिमास कम्प्यूटर आपरेटर/अर्दली भत्ता दिया जाएगा.''.

धारा ५ का लोप.

५. मूल अधिनियम की धारा ५ का लोप किया जाए.

धारा ५-क का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द ''६,००० किलोमीटर'' के स्थान पर अंक तथा शब्द ''१०,००० किलोमीटर'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द ''तीन हजार'' के स्थान पर, शब्द ''चार हजार'' स्थापित किए जाएं.''.

धारा ६-क का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ६-क में, उपधारा (१) में,—

(एक) प्रथम पैरा में, शब्द ''पन्द्रह हजार'' के स्थान पर, शब्द ''बीस हजार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु यह और कि पेंशन में प्रतिवर्ष आठ सौ रुपए प्रतिमास जोड़े जाएंगे.''.

धारा ६-ख का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में, शब्द ''दस हजार'' के स्थान पर, शब्द ''अठारह हजार'' स्थापित किए जाएं और पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''परंतु परिवार पेंशन में प्रतिवर्ष पांच सौ रुपए प्रतिमास जोड़े जाएंगे.''.

धारा ६-ग का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ६-ग में, शब्द ''दस हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पन्द्रह हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ७ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, शब्द ''पांच हजार'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ७-क का अन्तःस्थापन.

११. मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुग्रह अनुदान.

''७-क. मृत सदस्य के आश्रित को पांच लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हाल ही के वर्षों में मुद्रास्फीति के कारण, यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ३० मार्च, २०१६

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० और ११ में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः रुपये २५,८०,६०,०००/- (रुपये पच्चीस करोड़ अस्सी लाख साठ हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन, अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) से उद्धरण.

* * * * *

धारा ३. प्रत्येक सदस्य को दस हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जायेगा.

धारा ४. प्रत्येक सदस्य को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

* * * * *

धारा ४-ग. प्रत्येक सदस्य को दस हजार रुपये प्रतिमास अर्दली भत्ता दिया जायेगा.

धारा ५. प्रत्येक सदस्य को तथा धारा ६-क के अधीन पेंशन के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति को एक हजार रुपये प्रतिमास की दर से बस यात्रा भत्ता दिया जायेगा.

धारा ५-क. (१) प्रत्येक सदस्य को रेल कूपन दिये जाएंगे जो, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं,—

(एक) उसे अकेले प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वारा; या

(दो) उसे उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति सहित प्रथम श्रेणी द्वारा या वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा,

किसी भी रेल से राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष में केवल ६००० किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए हकदार बनाएंगे.

(२) * * * * *

(३) धारा-६-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को रेल के कूपन दिए जाएंगे जो ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, उसे प्रथम श्रेणी द्वारा अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ, किसी भी रेल से,—

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के; और

(दो) राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष केवल तीन हजार किलोमीटर तक की, यात्रा करने के लिए हकदार बनाएंगे.

* * * * *

६-क. (१) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ के प्रारंभ से प्रत्येक व्यक्ति को जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि के लिए कार्य किया है, पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जायेगा:

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने पांच वर्ष से अधिक कालावधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जायेगा और किसी सदस्य की अवधि के अंतिम वर्ष की छह मास या अधिक की कालावधि अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझी जाएगी.

६-ख. किसी ऐसे मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को, यदि कोई हो, या आश्रित को, जो धारा ६-क की उपधारा (१) के अधीन पेंशन का हकदार था, उसकी मृत्यु की तारीख से ऐसी कालावधि के लिए दस हजार रुपये प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन दी जाएगी, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, १९७६ में किसी शासकीय सेवक को अनुज्ञेय है.

६-ग. प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा ६-क के अधीन पेंशन का हकदार है, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा, और दस हजार रुपये प्रतिमास चिकित्सीय भत्ता भी दिया जाएगा.

* * * * *

७. (१) प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास पांच हजार रुपये का चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा.

* * * * *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.